न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
009/2021 (रसद) (GCMS 2021/215)	21.06.2021	07.12.2021

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

दिनेश कुमार पिता कालुराम प्रजापत, पानी की टंकी के पास, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़

विपक्षी

उपस्थिति :– प्रवर्तन अधिकारी — पैरोकार सरकार
एक तरफा — विपक्षी

प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी हितेश जोशी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुखबिर की सूचना पर दिनांक 22.03.2021 को चन्देरिया में पानी की टंकी के पास स्थित दिनेश कुमार प्रजापत पुत्र कालुराम प्रजापत के घर जांच दल पहुँचा। जॉच दल द्वारा घर का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण दिनेश प्रजापत के घर पहुँचने पर मौके पर दिनेश प्रजापत की पत्नि एवं माताजी उपस्थित पाये गये, जिन्होनें फोन कर दिनेश प्रजापत को मौके पर बुलाया। मौतबिरान की उपस्थिति में दिनेश प्रजापत के घर का निरीक्षण किया गया। वहां 1 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 13 घरेलू गैस सिलेण्डर, 3 अप्रमाणिक छोटे गैस सिलेण्डर एवं 3 रिफिल निप्पल पाये गये। मौके पर दिनेश कुमार प्रजापत से गैस के भण्डारण गैस रिफिलिंग गैस ट्रांसफर के संबंध में आवश्यक दस्तावेज मांगने पर दिनेश कुमार प्रजापत ने ऐसे किसी भी दस्तावेज के होने से इन्कार कर दिया तथा मौके पर प्रस्तुत नहीं किये। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आदेश 2000 का उल्लंघन पाये जाने पर मौके पर 1 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर 13 घरेलू गैस सिलेण्डर 3 अप्रमाणिक छोटे गैस सिलेण्डर एवं 3 रिफिल

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

Web Copy - Not Official

निप्पल कब्जे में लिये गये। मौके पर जब्तशुदा सभी गैस सिलेण्डर को गंगरार इण्डेन गैस सर्विस के हॉकर को बुलवाकर मौके पर ही तुलवाया गया। जब्तशुदा सामग्री का विवरण आवेदन अनुसार है। मौके पर अभिग्रहित 1 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर 13 घरेलू गैस सिलेण्डर 3 अप्रमाणिक छोटे गैस सिलेण्डर एवं 3 रिफिल निप्पल को मैसर्स गंगरार इण्डेन गैस सर्विस गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ के प्रतिनिधि दिनेश कुमार ढोली पिता माधुलाल की सुपुर्दगी में दिया जाकर मौतबिरान के रूबरू हस्ताक्षर करवाये गये व निर्देशित भी किया गया की उक्त गैस सिलेण्डर का अपने स्टॉक में इन्द्राज कर अपने गोदाम में सुरक्षित रखेंगे तथा वक्त आवश्यकता पडने पर प्रस्तुत करेंगे। दिनेश कुमार प्रजापत पिता कालुराम प्रजापत पानी की टंकी के पास, चंदेरिया का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय हैं। अन्त में प्रार्थना की गई कि अभिग्रहित 1 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर 13 घरेलू गैस सिलेण्डर 3 अप्रमाणिक छोटे गैस सिलेण्डर एवं 3 रिफिल निप्पल को राजसात किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 07.09.2021 को विपक्षी की और से उनके अधिवक्ता रमेशचन्द्र शर्मा हाजिर आये अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 07.12.2019 को अधिवक्ता विपक्षी एवं विपक्षी के स्वयं के हाजिर नहीं आने से विपक्षी के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई।

इस पर हाजिर पैरोकार सरकार ने प्रकरण में बहस पत्रावली का निवेदन कर प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की। इस पर हाजिर पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली को एक तरफा सुना गया। हाजिर पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक अथवा अन्य कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है। दिनांक 22.03.2021 को विपक्षी की दुकान पर जांच करने पर विपक्षी के दुकान में विपक्षी के कब्जे में 1 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर 13 घरेलू गैस सिलेण्डर 3 अप्रमाणिक छोटे गैस सिलेण्डर एवं 3 रिफिल निप्पल अनाधिकृत पाए गए जिनका कोई दस्तावेज विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक/अन्य उपयोग करना पाया गया जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन होने से धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा गैस सिलेण्डर मय गैस व अन्य सामग्री राजसात (Confiscate) किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली एक तरफा का चिंतन-मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

न्यायालय जिला कलक्टर

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा विपक्षी की दुकान का मुआयना करने पर मौके पर विपक्षी की दुकान में विपक्षी के कब्जे में 1 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर 13 घरेलू गैस सिलेण्डर 3 अप्रमाणिक छोटे गैस सिलेण्डर एवं 3 रिफिल निप्पल अनाधिकृत रूप से भण्डारण करना पाया गया तथा मौके पर उक्त गैस सिलेण्डरों एवं सामग्री के संबंध में वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। विपक्षी की और से किसी भी प्रकार से आवेदन का खण्डन प्रस्तुत नहीं किया गया एवं प्रकरण में विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई ऐसी स्थिति में पत्रावली पर विपक्षी की और से किसी भी प्रकार खण्डन रिकार्ड पर नहीं है। ऐसी स्थिति में विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों से अवैध गैस रिफलिंग कर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया, जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों का अपनी दुकान पर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाता है। ऐसी स्थिति में विपक्षी से जब्त शुदा 1 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर 13 घरेलू गैस सिलेण्डर 3 अप्रमाणिक छोटे गैस सिलेण्डर, 3 रिफिल निप्पल एवं जब्तशुदा सिलेण्डरों में भरी हुई कुल **66.08 Kg.** गैस राजसात **(Confiscate)** किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी प्रवर्तक निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 31.01.2020 को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा विपक्षी दिनेश कुमार प्रजापत पिता कालुराम प्रजापत पानी की टंकी के पास, चन्देरिया चित्तौड़गढ़ से दिनांक 22.03.2021 से जब्त शुदा 1 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर 13 घरेलू गैस सिलेण्डर 3 अप्रमाणिक छोटे गैस सिलेण्डर, 3 रिफिल निप्पल एवं जब्तशुदा सिलेण्डरों में भरी हुई कुल **66.08 Kg.** गैस राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी उक्त गैस सिलेण्डरों एवं अन्य सामग्री के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें। जब्तशुदा सामग्री के नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>07.12.2021</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(ताराचन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर

Web Copy - Not Official